ए.

त्रिपुरा और ओआरएस का राज्य।

बनाम

एसएमटी। अंजना भट्टाचार्जी और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 5114)

बी.

24 अगस्त, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम, 2009-नियम 3 (3)-भारत का संविधान-अनुच्छेद 14-पेंशन नियम, 2009 के नियम 3 (3) को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी-नियम 3 (3) में प्रावधान है कि "न्यूनतम और अधिकतम पेंशन की उपरोक्त सीमाओं के भीतर पेंशन की संशोधित दर की गणना 1 जनवरी 2006 से वैचारिक रूप से की जाएगी या, जैसा भी मामला हो, 1 जनवरी 2009 से वित्तीय गणना स्वीकार्य होगी।"-रिट याची की ओर से यह मामला था कि 01.01.2006 से 31.12.2008 की अवधि के लिए पेंशन के वास्तविक लाभ से इनकार करने का कोई उचित बहाना नहीं है-उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।जब उच्च न्यायालय के समक्ष अपने नीतिगत निर्णय को उचित ठहराते हुए विशिष्ट आंकड़े प्रदान किए गए थे और वित्तीय संकट/वित्तीय बाधा का अनुरोध किया गया था, तो उच्च न्यायालय के लिए इस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था-मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई मात्रा का लाभ देने के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने के लिए वित्तीय बाधा एक वैध आधार हो सकती है-लाभ देने के लिए कट-ऑफ तिथि तय करना सरकार की शक्तियों के भीतर है जब तक कि इसके कारण मनमाने नहीं हैं और कुछ तर्कसंगत विचार पर आधारित हैं-तत्काल मामले में, कट-ऑफ तिथि को बहुत ही वैध आधार यानी वित्तीय बाधा पर 01.01.2009 के रूप में तय किया गया है-इसलिए, उच्च न्यायालय ने नियम 3 को रद्द करने में स्पष्ट रूप से गलती की।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

14 ए.

15

त्रिपुरा राज्य और ओआरएस. v.एसएमटी। अंजना भट्टाचार्जी और ओआरएस।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** पेंशन नियम, **2009** के नियम **3 (3)** को उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए निरस्त कर दिया है कि यह मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** का उल्लंघन है।उच्च न्यायालय के समक्ष, राज्य की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि भारी वित्तीय बोझ और वित्तीय बाधाओं के कारण, राज्य अतिरिक्त संशोधित पेंशन का भारी बोझ वहन करने की स्थिति में नहीं है और इसलिए, राज्य ने इस प्रभाव के लिए एक नीतिगत निर्णय तैयार किया कि संशोधित पेंशन का भुगतान **01.01.2006** से **31.12.2008** तक काल्पनिक रूप से किया जाएगा और पेंशन का वास्तविक संशोधन केवल **01.01.2009** से वितरित किया जाएगा।राज्य की ओर से एक विस्तृत हलफनामा दायर किया गया था जिसमें उपरोक्त नीतिगत निर्णय को उचित ठहराया गया था जिसमें केवल **01.01.2009** से वेतन का संशोधन प्रदान किया गया था और **01.01.2006** से या सेवानिवृत्ति की तारीख से **31.12.2008** तक संशोधित पेंशन का लाभ दिया गया था।हालांकि, कोई ठोस कारण बताए बिना, उच्च न्यायालय ने कहा है कि आधार यानी वित्तीय संकट ने न्यायालय को बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं किया है जब उच्च न्यायालय के समक्ष अपने नीतिगत निर्णय को उचित ठहराते हुए विशिष्ट आंकड़े प्रदान किए गए थे और वित्तीय संकट/वित्तीय बाधा का अनुरोध किया गया था, उच्च न्यायालय के लिए इस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था।इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में दर्ज किए गए निष्कर्ष राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे में किए गए कथनों के विपरीत हैं।उच्च न्यायालय के समक्ष पुनः प्रस्तुत किए गए हलफनामे से, इस न्यायालय को संतोष है कि राज्य सरकार द्वारा पेंशन के संशोधन का लाभ अनुमानित रूप से **01.01.2006** से या सेवानिवृत्ति की तारीख से **31.12.2008** तक देने और वास्तव में **01.01.2009** से पेंशन के संशोधन का लाभ देने/देने के लिए एक सचेत नीतिगत निर्णय लिया गया था, जो उनकी वित्तीय संकट/वित्तीय बाधा पर आधारित था। क्या अतिरिक्त वित्तीय बोझ के कारण वित्तीय संकट/वित्तीय बाधा पेंशन/वेतन के संशोधन का वास्तविक लाभ देने के उद्देश्य से एक कट-ऑफ तिथि तय करने के लिए एक वैध आधार हो सकता है, अमर नाथ गोयल के मामले में इस न्यायालय द्वारा निपटा गया है और/या विचार किया गया है।उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है

कि मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की बढ़ी हुई मात्रा के लाभ के अनुदान के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने के लिए वित्तीय बाधा एक वैध आधार हो सकती है।इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करते समय

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

16 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 11 एस. सी. आर.

ए.

साथ ही, इस न्यायालय की राय है कि तत्काल मामले में, कट-ऑफ तिथि को एक बहुत ही वैध आधार यानी वित्तीय बाधा पर **01.01.2009** के रूप में तय किया गया है।इसलिए, उच्च न्यायालय ने पेंशन नियम, **2009** के नियम **3 (3)** को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद **14** का उल्लंघन करते हुए रद्द करने में स्पष्ट रूप से गलती की।**[**पारस **5** और **6] [20-D-F; 21-G-H; 22-E-H; 24-D]**

बी.

पंजाब राज्य और अन्य।अमर नाथ गोयल और अन्य।

(2005) 6 एससीसी **754:[2005] 2** पूरक।एस. सी. आर. **549-**पर निर्भर।

बिहार राज्य और अन्य**. v.**बिहार पेंशनभोगी समाज **(2006)**

5 एससीसी 65:[2006] 5 जे. टी. 131; पंजाब राज्य बनाम बूटा

सी.

सिंह (2000) 3 एससीसी 733; पंजाब राज्य बनाम जे. एल. गुप्ता

(2000) 3 एससीसी **736:[2000] 1** एस. सी. आर. **903-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2005] 2 पूरक।एससीआर **549**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **3**

डी.

[2000] 1 एससीआर **903**

पैरा **5.4** में संदर्भित

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5114

2022.

2012 की रिट याचिका (सी) संख्या 494 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय, अगरतला के दिनांकित 31.10.2017 के निर्णय और आदेश से।

ई.

शवोदीप रॉय, अर्णव सिंह देव, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।रविंदर अग्रवाल, लेख राज सिंह, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एफ.

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. अगरतला में त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा 2012 की रिट याचिका (सी) संख्या 494 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम, 2009 (जिसे इसके बाद पेंशन नियम, 2009 के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 3 (3) को रद्द कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप मूल रिट याची को 01.03.2007 से 31.12.2008 की अवधि के लिए पेंशन के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया है, त्रिपुरा राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

जी.

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः- ए.

एच.

17

त्रिपुरा राज्य और ओआरएस. v.एसएमटी। अंजना भट्टाचार्जी और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

2.1 कि त्रिपुरा राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम, 2009 को अधिनियमित/तैयार किया है।

पेंशन नियम, 2009 का नियम 3 (3), जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया है, निम्नानुसार हैः-

बी.

“3(3) न्यूनतम और अधिकतम पेंशन की उपरोक्त सीमाओं के भीतर पेंशन की संशोधित दर की गणना 1 जनवरी 2006 से या, जैसा भी मामला हो, सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से की जाएगी।लेकिन इस गणना के अनुसार वित्तीय लाभ 1 जनवरी 2009 से या सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से स्वीकार्य होगा।

सी.

2.2 6 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के बाद कॉलेजों में शिक्षकों के लिए यू. जी. सी. प्रणाली में संशोधित वेतन संरचना को अपनाने और लागू करने पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर, त्रिपुरा राज्य ने दिनांकित एक अधिसूचना जारी की। 15600-39100 और 37400-67000 क्रमशः उपयुक्त शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ और यह निर्दिष्ट किया गया था कि बकाया केंद्र सरकार से 80 प्रतिशत की वित्तीय सहायता की प्राप्ति के अधीन देय होगा और अन्य सभी भत्ते 01.01.2009 से स्वीकार्य होंगे।राज्य की अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि समय-समय पर संशोधित राज्य के लिए पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन स्वीकार्य होगी और पेंशन की ऊपरी सीमा को रुपये से बढ़ा दिया गया था। 25200 से 38500 तक।राज्य ने वर्ष 2010 में पेंशन नियम, 2009 के नियम 3 (2) में संशोधन किया और पेंशन की अधिकतम सीमा रु। 38500।

डी.

ई.

एफ.

2.3 उस दिनांक 23.12.2010 के पत्र/संचार के माध्यम से, वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि पेंशन नियम, 2009 के नियम 3 (3) के अनुसार, पेंशन की गणना काल्पनिक रूप से की जाएगी और यह उस कॉलेज शिक्षक की सेवानिवृत्ति की तारीख से प्रभावी होगी जो 01.01.2006 के बाद सेवानिवृत्त हुआ है, लेकिन वित्तीय लाभ केवल 01.01.2009 या सेवानिवृत्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से ही स्वीकार्य होगा।

जी.

2.4 वह प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल रिट याची सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 28.02.2007 पर रीडर-कम-वाइस प्रिंसिपल के रूप में सेवानिवृत्त हुए।उनकी पेंशन की गणना रुपये में की गई थी। 9, 150/- उनके आधार पर

रुपये का अंतिम मूल वेतन। 18, 300/-।इसके बाद वेतन में संशोधन के बाद उनकी पेंशन संशोधित कर एक लाख रुपये कर दी गई। 26, 850/- रुपये के संशोधित मूल वेतन के आधार पर। 53, 700/-।हालाँकि, संशोधित वेतन/पेंशन को स्वीकार्य बनाया गया था और वास्तव में 01.01.2009 से भुगतान किया गया था और उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 01.01.2009 तक इसकी गणना काल्पनिक रूप से की गई थी।इसलिए, मूल रिट याची ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका को प्राथमिकता दी जिसमें शुरू में (i) 01.01.2006 से 28.02.2007 तक की अवधि के लिए वेतन का बकाया; (ii) संशोधित वेतनमान के आधार पर 01.03.2007 से 31.12.2008 तक की अवधि के लिए पेंशन का बकाया।इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि शुरू में पेंशन नियम, 2009 के नियम 3 (3) की वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई थी।हालाँकि, बाद में, रिट याचिका में संशोधन किया गया और वेतन के बकाया के लिए अनुरोध को हटा दिया गया और पेंशन नियम, 2009 के नियम 3 (3) को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

बी.

सी.

2.5 मूल रिट याची की ओर से यह मामला था कि आई. डी. 2 से आई. डी. 1 तक की अवधि के लिए पेंशन के वास्तविक लाभ से इनकार करने का कोई उचित बहाना नहीं है क्योंकि कार्यान्वयन के लिए वित्तीय आवश्यकता का 80 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना था, जबकि राज्य सरकार को उक्त अवधि के लिए पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए पूरी आवश्यकता का केवल 20 प्रतिशत वहन करना था।मूल रिट याची की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह के नीतिगत निर्णय मनमाने ढंग से और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाले होने के कारण इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।यह प्रस्तुत किया गया था कि उस उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए जिसे नीति प्राप्त करना चाहती है।

डी.

ई.

2.6 कि रिट याचिका का राज्य द्वारा जोरदार विरोध किया गया था।उस रिट याचिका का विरोध करते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था जिसमें राज्य की ओर से विशेष रूप से

यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य पर वित्तीय बोझ के कारण, जो राज्य संशोधित पेंशन का अतिरिक्त बोझ वहन करने की स्थिति में नहीं था, संशोधित पेंशन का लाभ काल्पनिक रूप से 01.01.2006 से 31.12.2008 देने और केवल 01.01.2009 से संशोधित पेंशन का वास्तविक लाभ देने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया है।राज्य की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया था कि एक नीतिगत निर्णय होने के नाते, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया गया था कि यह आम तौर पर किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह नीति के फायदे और नुकसान का आकलन करे या इसकी जांच करे और ए के उद्देश्य के लिए इसके लाभकारी या न्यायसंगत स्वभाव की डिग्री का परीक्षण करे।

एफ.

जी.

एच.

19

त्रिपुरा राज्य और ओआरएस. v.एसएमटी। अंजना भट्टाचार्जी और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

जहां यह किसी भी संवैधानिक, वैधानिक या कानून के किसी अन्य प्रावधान का मनमाना या उल्लंघन करने वाला है, उसे छोड़कर, इसे बदलने, संशोधित करने या रद्द करने के लिए, हालांकि ध्वनि और अच्छे तर्क के आधार पर।

2.7 विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा उठाए गए वित्तीय संकट की याचिका को स्वीकार नहीं किया है और इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने पेंशन नियम, 2009 के नियम 3 (3) को मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया है।इसके बाद, उच्च न्यायालय ने राज्य को मूल रिट याची को उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पेंशन (संशोधित पेंशन) के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने पेंशन नियम, 2009 के नियम 3 (3) को मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया है, त्रिपुरा राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

सी.

3. राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री शुवोदीप रॉय ने जोरदार ढंग से कहा है कि वित्तीय संकट के कारण और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि राज्य पर वास्तविक संशोधन

पेंशन का भुगतान करने के लिए भारी वित्तीय बोझ होगा, जो त्रिपुरा राज्य जैसे छोटे राज्य के विकास को प्रभावित कर सकता है, राज्य द्वारा केवल वेतनमान के संशोधन का लाभ देने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया था और वेतन के संशोधन का लाभ केवल कल्पनात्मक रूप से 01.01.2006 से 31.12.2008 किया जाना चाहिए, जिसे माननीय उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

डी.

ई.

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक यह नहीं पाया जाता है कि ऐसा नीतिगत निर्णय मनमाना है और/या संविधान, क़ानून या कानून के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है, तब तक उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने से रोक दिया जाता है।

एफ.

3.2 राज्य की ओर से पेश वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य की ओर से एक विस्तृत हलफनामा दायर किया गया था जिसमें वित्तीय बाधा और/या राज्य पर वित्तीय बोझ को इंगित किया गया था यदि पेंशन के संशोधन के बकाया का भुगतान 01.01.2006 से किया जाता है।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने बिना किसी और चर्चा के और कोई ठोस कारण बताए यह मत व्यक्त किया है कि राज्य के खजाने पर वित्तीय संकट के तर्क ने न्यायालय को बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं किया है।

जी.

एच.

3.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य पर वित्तीय बोझ पेंशन के संशोधन के भुगतान के उद्देश्य से एक कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने के लिए एक वैध आधार हो सकता है।इसके निर्णयों पर बहुत अधिक निर्भरता रखी जाती है।

पंजाब राज्य और अन्य के मामलों में न्यायालय। बनाम अमर नाथ गोयल और अन्य। **; (2005) 6** एस**.** सी**.** सी**. 754** और बिहार राज्य और अन्य। बनाम बिहार पेंशनभोगी समाज**; (2006)** इस संबंध में **5** एस**.** सी**.** सी**. 65**।

बी.

4. हालाँकि कोई भी प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से पेश नहीं हुआ है, हो सकता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के अंतरिम आदेश के अनुसार, उसे उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पेंशन के पूरे बकाया का भुगतान किया गया हो।यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश पर इस न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है।

सी.

5. हमने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को देखा और उस पर विचार किया है।उच्च न्यायालय के समक्ष, पेंशन नियम, 2009 के नियम 3 (3) को चुनौती दी गई थी, जिसे यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।पेंशन नियम, 2009 के नियम 3 (3) को उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए निरस्त कर दिया है कि यह मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।उच्च न्यायालय के समक्ष, राज्य की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि भारी वित्तीय बोझ और वित्तीय बाधाओं के कारण, राज्य अतिरिक्त संशोधित पेंशन का भारी बोझ वहन करने की स्थिति में नहीं है और इसलिए, राज्य ने इस प्रभाव के लिए एक नीतिगत निर्णय तैयार किया कि संशोधित पेंशन का भुगतान 01.01.2006 से 31.12.2008 तक काल्पनिक रूप से किया जाएगा और पेंशन का वास्तविक संशोधन केवल 01.01.2009 से वितरित किया जाएगा।राज्य की ओर से एक विस्तृत हलफनामा दायर किया गया था जिसमें उपरोक्त नीतिगत निर्णय को उचित ठहराया गया था जिसमें केवल 01.01.2009 से वेतन का संशोधन प्रदान किया गया था और 01.01.2006 से या सेवानिवृत्ति की तारीख से 31.12.2008 तक संशोधित पेंशन का लाभ दिया गया था।हलफनामे पर उच्च न्यायालय के समक्ष यह कहा गया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में भी पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार हैः-

डी.

ई.

एफ.

“हालांकि, नियम 3 (3) आई. बी. आई. डी. के अनुसार वित्तीय लाभ को 1 जनवरी, 2009 से या सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति की तारीख से स्वीकार्य बनाया गया था जो कभी भी बाद में था। अन्य सभी मामलों के लिए, पेंशन की गणना वेतनमान की संशोधित दरों के अनुसार की गई थी। चूंकि याची 28-02-2007 पर सेवानिवृत्त हुआ था, इसलिए 31-12-2008 तक की उसकी संशोधित पेंशन की गणना काल्पनिक रूप से की गई थी।याची का दावा है कि उसे 01-03-2007 से 31-12-2008 की अवधि के लिए संशोधित दरों के अनुसार पेंशन के बकाया की अनुमति दी जाए।यह ए है।

जी.

एच.

21

त्रिपुरा राज्य और ओआरएस. v.एसएमटी। अंजना भट्टाचार्जी और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

यह तथ्य कि बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद से राज्य की वित्तीय स्थिति उथल-पुथल भरे समय से गुजर रही है।राज्य सरकार को अपने योजना और गैर-योजनागत व्यय को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के वित्त पोषण पर निर्भर रहना पड़ता है।केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।गैर-योजना राजस्व व्यय के राज्य के अनुमानित अनुमानों के तहत वित्त आयोग, जिसमें वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान (गैर-लचीला और प्रतिबद्ध व्यय) शामिल हैं।उदाहरण के लिए, राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की। संशोधित वेतनमान के अनुसार पेंशन के लिए खर्च को पूरा करने के लिए 3944.79 करोड़।इसके विपरीत, वित्त आयोग ने एक करोड़ रुपये के संचयी व्यय का आकलन किया। 2779.09 करोड़ जो रु। 1165.70 राज्य सरकार द्वारा वास्तविक मूल्यांकन से कम।12 वित्त आयोग ने पेंशन की गणना रु। वर्ष के दौरान 342.01 करोड़ 2008-09 और रु। वर्ष के दौरान 413.83 करोड़ 2009-10।यह 2007-08 पर लगभग 9 प्रतिशत और 2008-09 पर 21 प्रतिशत की वृद्धि है।हालांकि, वास्तविक निहितार्थ के अनुसार, 2008-09 और 2009-10 के दौरान खर्च रु। 356.43 करोड़ और रु। 559.89 करोड़ क्रमशः जो पिछले वर्षों की तुलना में 14 प्रतिशत और 57 प्रतिशत अधिक है।इस प्रकार, वित्त आयोग द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति के कम मूल्यांकन के कारण, गैर-योजना राजस्व व्यय पर वित्त पोषण में कमी आई है।अब विकास के मोर्चे पर राज्य के वित्त से समझौता किए बिना पेंशन का भुगतान करना आवश्यक था।इस प्रकार पेंशन के भुगतान के लिए वित्तीय लाभ पर 01-01-2009 से विचार किया गया था।01-01-2006 से 31-12-2008 के भीतर आने वाले सेवानिवृत्ति के अन्य सभी मामलों को धारणा के अनुसार पेंशन तय करने की अनुमति दी गई थी।इसके अलावा, पेंशन के बकाया भुगतान का राज्य के वित्त पर बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त लोग हैं।राज्य की सीमित वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, समान स्थिति वाले व्यक्तियों को पेंशन के बकाया भुगतान पर आगे विचार करना संभव नहीं है क्योंकि इससे राज्य के राजकोष पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा जो राज्य के वित्तीय संतुलन को बाधित करेगा।”

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

5.1 हालांकि, कोई ठोस कारण बताए बिना, उच्च न्यायालय ने कहा है कि फाउंडेशन यानी वित्तीय संकट ने न्यायालय को बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं किया है।केवल तर्क या वास्तविक निष्कर्ष पैराग्राफ 12 में हैं जो नीचे दिए गए हैंः-

एच.

22 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 11 एस. सी. आर.

“[12] हमने आधार की पूरी तरह से जांच की है जैसा कि राज्य-उत्तरदाताओं द्वारा अतिरिक्त जवाबी हलफनामे से पारित किया गया है, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।हम दिनांकित 02.02.2010 अधिसूचना में निर्धारित शर्त से पाते हैं कि कुल वित्तीय आवश्यकता में से 80 प्रतिशत केंद्र सरकार 31.03.2010 तक वहन करेगी।उक्त नियमों के नियम 3 (3) में उल्लिखित अवधि उक्त कवरेज अवधि के भीतर आती है और इस प्रकार, राज्य सरकार ने जो अनुमान लगाया है कि वित्तीय संकट के कारण वे उक्त पेंशन नियमों में उक्त संशोधन लाने के लिए मजबूर हुए थे, वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है।नींव यानी वित्तीय संकट ने हमें बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं किया है।इसलिए, हमारा विचार है कि पेंशन नियमों का उक्त नियम 3 (3) पूरी तरह से मनमाना होने के कारण रद्द किया जा सकता है।तदनुसार, हम त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम, 2009 के नियम 3 (3) को निरस्त करते हैं।उत्तरदाता संख्या 2,3 और 4 को आज से 3 (तीन) महीने की अवधि के भीतर याची को 01.03.2007 से 31.12.2008 तक की अवधि के लिए बकाया पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा उक्त राशि पर 01.04.2010 से प्रति वर्ष @6% ब्याज लगेगा।”

बी.

सी.

डी.

5.2 जब उच्च न्यायालय के समक्ष अपने नीतिगत निर्णय को उचित ठहराते हुए विशिष्ट आंकड़े प्रदान किए गए और वित्तीय संकट/वित्तीय बाधा का अनुरोध किया गया, तो उच्च न्यायालय के लिए इस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था।इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में दर्ज किए गए निष्कर्ष राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे में किए गए कथनों के विपरीत हैं।ऊपर पुनः प्रस्तुत उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे से, हम संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार द्वारा पेंशन के संशोधन का लाभ अनुमानित रूप से 01.01.2006 से या सेवानिवृत्ति की तारीख से 31.12.2008 तक देने और वास्तव में 01.01.2009 से पेंशन

के संशोधन का लाभ देने/देने के लिए एक सचेत नीतिगत निर्णय लिया गया था, जो उनकी वित्तीय संकट/वित्तीय बाधा पर आधारित था।

ई.

एफ.

5.3 क्या अतिरिक्त वित्तीय बोझ के कारण वित्तीय संकट/वित्तीय बाधा पेंशन/वेतन के संशोधन का वास्तविक लाभ देने के उद्देश्य से एक कट-ऑफ तिथि तय करने के लिए एक वैध आधार हो सकता है और/या अमर नाथ गोयल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है।उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि वित्तीय बाधा ए के निर्धारण के लिए एक वैध आधार हो सकती है।

जी.

एच.

23

त्रिपुरा राज्य और ओआरएस. v.एसएमटी। अंजना भट्टाचार्जी और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की बढ़ी हुई मात्रा के लाभ के अनुदान के लिए कट-ऑफ तिथि। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 26,32 और 33 में, यह निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया है:-

“26. कर्मचारियों की ओर से इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि केंद्र सरकार/राज्य सरकारों का लाभ केवल उन कर्मचारियों तक सीमित रखने का निर्णय, जो वित्तीय प्रभावों की गणना करने के बाद 1-4-1995 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं या मर जाते हैं, या तो तर्कहीन या मनमाना था।केंद्र या राज्य स्तर पर सरकार के प्रशासन को प्रभावित करने वाले किसी भी नीतिगत निर्णय के लिए वित्तीय और आर्थिक निहितार्थ बहुत प्रासंगिक हैं।

बी.

सी.

XXX

XXX

XXX

32. कर्मचारियों को लाभ प्रदान करते समय वित्तीय प्रभावों पर विचार करने के महत्व को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित दो मामलों सहित कई निर्णयों में नोट किया गया है।राजस्थान राज्य बनाम अमृत लाल गांधी [(1997) 2 एस. सी. सी. 342:1997 एससीसी (एल एंड एस) 512:ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 782] इस न्यायालय ने इस हद तक ध्यान दिया कि

डी.

"एक कट-ऑफ तिथि तय करते समय विनियमों को पूर्वव्यापी बनाने का वित्तीय प्रभाव एकमात्र विचार हो सकता है।हमारी राय में, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कट-ऑफ तिथि मनमाने ढंग से या बिना किसी कारण के तय की गई थी।उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को अनुमति देने और 1-1-1990 के लिए 1-1-1986 की तारीख को प्रतिस्थापित करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी।" [इबिद।, आकाशवाणी पी.784, पैरा 17:एस. सी. सी पी.348, पैरा 17 (जोर दिया गया)।]

ई.

33. हाल ही में, वीरासामी [(1999) 3 एस. सी. सी. 414:1999 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 717] इस न्यायालय ने कहा कि संशोधित आधार पर पेंशन योजना को लागू करते समय कट-ऑफ तिथि शुरू करने के लिए वित्तीय बाधाएं एक वैध आधार हो सकती हैं।421 (पैरा 15)।].उस मामले में, पेंशन योजना उन व्यक्तियों पर अलग तरह से लागू होती थी जो 1-7-1986 से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, और जो उक्त तिथि पर रोजगार में थे।यह माना गया कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे एक वर्ग से संबंधित नहीं थे और उन्होंने अलग-अलग वर्ग बनाए।"

एफ.

जी.

5.4 उपरोक्त निर्णय में यह न्यायालय पंजाब राज्य बनाम बूटा सिंह के मामलों में इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर विचार करने के बाद;

(2000) 3 एससीसी **733** और पंजाब राज्य बनाम जे**.** एल**.** गुप्ता**; (2000) 3**

एच.

एस. सी. सी. 736, यह विशेष रूप से देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अतिरिक्त लाभ के अनुदान के लिए, जिसके वित्तीय निहितार्थ थे, अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट भविष्य की तारीख का निर्धारण मनमाना नहीं माना जा सकता है।

5.5 बिहार पेंशनभोगी समाज (ऊपर) में बाद के निर्णय में, अमर नाथ गोयल (ऊपर) के मामले में निर्णय का पालन किया जाता है और यह देखा जाता है और माना जाता है कि संशोधित आधार पर पेंशन योजना शुरू करते समय कट-ऑफ तिथि शुरू करने के लिए वित्तीय बाधाएं एक वैध आधार हो सकती हैं।इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में आगे यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि लाभ प्रदान करने के लिए एक कट-ऑफ तिथि निर्धारित करना सरकार की शक्तियों के भीतर है जब तक कि इसके कारण मनमाने नहीं हैं और कुछ तर्कसंगत विचार पर आधारित हैं।

बी.

सी.

6. हाथ में मामले के तथ्यों पर उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते समय, हमारी राय है कि हमारे सामने तत्काल मामले में, कट-ऑफ तिथि बहुत ही वैध आधार पर 01.01.2009 के रूप में तय की गई है, यानी वित्तीय बाधा।इसलिए, उच्च न्यायालय ने पेंशन नियम, 2009 के नियम 3 (3) को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए रद्द करने में स्पष्ट रूप से गलती की।7. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम, 2009 के नियम 3 (3) को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और अपास्त करनाने के योग्य है और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है।हालाँकि, यह देखा गया है कि चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से बकाया राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, इसलिए उसे उससे वसूल नहीं किया जाएगा।हालाँकि, त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम, 2009 के नियम 3 (3) को विवादित निर्णय और आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है और इसे अपास्त करना कर दिया गया है।तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

डी.

ई.

एफ.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

एच.